न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, शिवहर

वाद सं0. 36/2020

सरकार बनाम रामबाबू साह, पिता–स्व0 काशीनाथ साह, सा0–दुम्मा, थाना–हिरम्मा, जिला–शिवहर

(बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत)

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

5.10.2020

आदेश

पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा पत्रांक 728/अप0शा0(पी0) दिनांक 08.08.2020 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह वाद आरम्भ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के अपराधकर्मी रामबाबू साह, पिता–स्व0 काशीनाथ साह, सा0–दुम्मा, थाना–हिरम्मा जिला–शिवहर, के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं, ये भा0द0वि0 के अध्याय–16 तथा अध्याय–17 के अन्तर्गत आदतन अपराध करता है। यह एक असामाजिक तत्व है, जिसके कारण शिवहर जिला एवं हिरम्मा थाना क्षेत्र में अशांति व्याप्त रहती है एवं क्षेत्र में इसकी उपस्थिति से आम लोगों के बीच भय व्याप्त है तथा आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान में यह न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। आगामी विधान सभा आम चुनाव–2020 के मौके पर ये अपने दुष्प्रभाव से विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव डाल सकता है। हिरम्मा सनहा सं0–398/20, दिनांक–27.07.20 एवं सनहा सं0–14/20 दिनांक–01.08.20 अंकित किया गया है।

उपरोक्त अपराधकर्मी का निम्नांकित काण्डों में आरोपित होना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा प्रतिवेदित है, जिस पर पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा भी सहमति प्रतिवेदित है।
उसके उपर आपराधिक कांड यथा–

1. तरियानी थाना कांड सं0–118/17,दिनांक–25.06.2017 धारा–395/397 भा0द0वि0, अधिनियम दर्ज है। इस कांड में यह अपने अन्य सहयोगियों के साथ महेश ठाकुर पिता–स्व0 केश्वर ठाकुर ग्राम–वृन्दावन साहु टोला थाना तरियानी जिला शिवहर के घर में हर्वे हथियार से लैश होकर प्रवेश कर लूट–पाट किया था। इस कांड में इनके विरूद्ध धारा–395/397 भा0द0वि0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में आरोप–पत्र संख्या–81/18, दिनांक–23.05.18 समर्पित किया गया है। साथ ही इसके विरूद्ध श्यामपुर भटहाँ थाना कांड संख्या–81/16, दिनांक–31.12.16 धारा 395/412 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। जिसमें इसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इसके अलावे अन्य कई कांडों में इनकी संलिप्तता रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त सक्रिय अपराधकर्मी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–2(डी०) में परिभाषित एन्टी सोशल एलिमेन्ट की श्रेणी में प्रतिवेदित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा उपरोक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के साथ सभी संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु कारणपृच्छा की मांग की गई। सूचना के तामिला उपरान्त विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक, शिवहर के द्वारा बताया गया है कि विपक्षी का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है:–

1. तरियानी थाना कांड सं0–118/17,दिनांक–25.06.2017 धारा–395/397 भा0द0वि0, अधिनियम दर्ज है। इस कांड में यह अपने अन्य सहयोगियों के साथ महेश ठाकुर पिता–स्व0 केश्वर ठाकुर ग्राम–वृन्दावन साहु टोला थाना तरियानी जिला शिवहर के घर में हर्वे हथियार से लैश होकर प्रवेश कर लूट–पाट किया था। इस कांड में इनके विरूद्ध धारा–395/397 भा0द0वि0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में आरोप–पत्र संख्या–81/18, दिनांक–23.05.18 समर्पित किया गया है। साथ ही इसके विरूद्ध श्यामपुर भटहाँ थाना कांड संख्या–81/16, दिनांक–31.12.16 धारा 395/412 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। जिसमें इसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इसके अलावे अन्य कई कांडों में इनकी संलिप्तता रही है।

अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी के द्वारा किये गये आपराधिक कांडों से सपष्ट होता है कि ये भा०द०वि० के अध्याय–17 के अन्तर्गत अपराध करते हैं। इनके द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध धारा–3 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, शिवहर की अनुशंसा अपर लोक अभियोजन, शिवहर को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के अवलोकन एवं परिशीलन से इस बात से संतुष्ट होता हूँ कि आरोपी **रामबाबू साह** बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम--1981 की धारा 2 (डी0) (1) के अनुसार एक असामाजिक तत्व है तथा उनकी गतिविधियों, आचरण एवं स्वतंत्र विचरण से लोक शांति भंग हो सकती है तथा जन सधारण, जन सम्पति को क्षति एवं विधान सभा आम चुनाव--2020 के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक शांति एवं लोक व्यवस्था भंग किया जा सकता है तथा किसी के पक्ष में मतदान करने को लेकर मतदाताओं कों डराया एवं धमकाया जा सकता है। आगामी विधान सभा आम चुनाव--2020 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु इनके विरुद्ध कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इनके अपराधिक इतिहास में ऐसे कांड दर्ज है तथा तथ्य उपलब्ध है, जिससे यह विश्वास हो जाता है कि ये पुनः ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान–1861 के अध्याय XVI या अध्याय--XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है, परिणाम स्वरूप इनपर नियंत्रण करना प्रशासन एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतः मैं अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, शिवहर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा--3 के उपधारा--3(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधकर्मी रामबाबू साह, पिता--स्व0 काशीनाथ साह, सा0--दुम्मा, थाना--हिरम्मा जिला--शिवहर, को शिवहर जिला में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश की तिथि से निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक यानि 03.11.2020 तक के लिए थाना बदर यानि **हिरम्मा**, थाना क्षेत्र छोडने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि **मीनापुर थाना, जिला--मुजफ्फरपुर,** में आदेश की तिथि से सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाहन् से 12 बजे अपराहन के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। वे लाठी, ब्लेड, चाकू, माचिस आदि या लोहे से निर्मित कोई भी वस्तु जो घातक हथियार की श्रेणी में आते है, अपने साथ नहीं रखेगें। वे अपना आचरण एक आम नागरिक की तरह रखेंगे एवं कोई संदिग्ध/अवैध कार्य नहीं करेंगे।

मीनापुर (मुजफ्फरपुर) थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में **हिरम्मा** थाना से थाना बदर किये गये रामबाबू साह, पिता--स्व0 काशीनाथ साह, सा0--दुम्मा, थाना--हिरम्मा जिला--शिवहर, के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक शिवहर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की तीन प्रतियाँ पुलिस अधीक्षक शिवहर को तामिला कराकर वापस करने हेतु भेजी जाए जिसमें से एक प्रति थानाध्यक्ष **हिरम्मा** एवं एक प्रति तामिला के प्रमाण स्वरुप प्रभावी व्यक्ति रामबाबू साह, पिता--स्व0 काशीनाथ साह, सा0--दुम्मा, थाना--हिरम्मा जिला--शिवहर, के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ अभिप्रमाणित कराकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लौटा दी जाए। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित कराई जाए।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन--सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को भी आम जनता में प्रचार--प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु भेजें।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, शिवहर/मुजफ्फरपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर एवं सभी थानाध्यक्ष शिवहर जिला को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।
05/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

05/10/20
जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

ज्ञापांक ...620 /विधि शिवहर, दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि :– रामबाबू साह, पिता–स्व0 काशीनाथ साह, सा0–दुम्मा, थाना–हिरम्मा, जिला–शिवहर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी थानाध्यक्ष, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, मीनापुर, जिला--मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

05/10/20
जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।